48

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

विविध

गैरनिगरानीकर्तागण
की ओर से पेश आवेदन पत्र

III/विविध/सीधी/भू-रा/2017/2873

राजस्व प्रकरण क्रमांक–R-2831-I/2012

मथुरा प्रसाद जायसवाल तनय रामसहाय जायसवाल, निवासी ग्राम–रामगढ़ तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) .... **निगरानीकर्ता/आवेदक**

बनाम्

1. आशीष कुमार जायसवाल तनय श्री प्रेमलाल जायसवाल,
2. अमित कुमार जायसवाल तनय श्री प्रेमलाल जायसवाल,
3. अश्वनी कुमार जायसवाल तनय श्री प्रेमलाल जायसवाल,
4. प्रेमलाल जायसवाल तनय श्री स्वर्गीय नकछेदी लाल जायसवाल,
5. श्रीमंती मिथिलेश जायसवाल पुत्री स्वर्गीय नकछेदी लाल जायसवाल,

सभी निवासी ग्राम–दक्षिण करौंदिया, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

...............................**गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण**

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक–272/निगरानी/2011–12 आदेश दिनांक–11.05.2012

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 एवं सहपठित धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

-2-

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / सीधी / भू.रा. / 2017 / 2873

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक के अधिवक्ता सुनील कुमार गुप्ता उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन एवं भूल सुधार बवत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 एवं सह पठित धारा–152 सिविल प्रकिया संहिता 1908 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 2831–एक / 2012 में पारित आदेश दिनांक 09.06.17 में भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के चरण कमांक–5 के द्वितीय पेरा के लाईन कमांक –7 में अपर कलेक्टर सीधी के बजाय अपर आयुक्त एवं इसी चरण के द्वितीय पैरा के लाईन कमांक–9 में अपर कलेक्टर सीधी के बजाय अपर आयुक्त रीवा लिपिकीय त्रुटि की बजह से टंकित हो गया है जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा चरण कमांक–5 के द्वितीय पेरा के लाईन कमांक –7 में अपर आयुक्त के बजाय अपर कलेक्टर सीधी एवं इसी चरण के द्वितीय पैरा के लाईन कमांक–9 में अपर आयुक्त रीवा के स्थान पर अपर कलेक्टर सीधी पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	